क्रम संख्या–102 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 08 सितम्बर, 2021 ई0

भाद्रपद 17, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 234/XXXVI (3)/2021/53(1)/2021

देहरादून, 08 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड विनियोग (2021–22 का अनुपूरक) विधेयक, 2021'** पर दिनांक 07 सितम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 18 वर्ष, 2021** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग (2021–22 का अनुपूरक) अधिनियम, 2021

(अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2021)

31 मार्च, 2022 ई0 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग (2021–2022 का अनुपूरक) अधिनियम, 2021 है।

उत्तराखण्ड की संचित निधि में से वर्ष 2021–22 के लिये रु0 57207803000 का निकाला जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये, जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेगे, उत्तराखण्ड की संचित निधि में से उतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रु0 57207803000 (रुपया पांच हजार सात सौ बीस करोड़ अठहतर लाख तीन हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3 इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2021–22 के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

अनुपूरक आय–व्ययक– 2021–22

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान का संख्यांकन	विभाग का नाम	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रु0 में)			
		श्रेणी	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3			
03.	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	8500	0	8500
		पूँजी	0	0	0
04.	न्याय प्रशासन	राजस्व	149285	38800	188085
		पूँजी	0	0	0
05.	निर्वाचन	राजस्व	519	0	519
		पूँजी	0	0	0
06.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	523906	0	523906
		पूँजी	18400	0	18400
07.	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	12016302	0	12016302
		पूँजी	7460000	0	7460000
08.	आबकारी	राजस्व	18300	0	18300
		पूँजी	0	0	0
10.	पुलिस एवं जेल	राजस्व	28091	0	28091
		पूँजी	0	0	0
11.	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	748135	0	748135
		पूँजी	1730000	0	1730000
12.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	4521521	0	4521521
		पूँजी	380000	0	380000
13.	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	990871	0	990871
		पूँजी	4808807	0	4808807
14.	सूचना	राजस्व	144000	0	144000
		पूँजी	0	0	0
15.	कल्याण योजनायें	राजस्व	3788149	0	3788149
		पूँजी	0	0	0
16.	श्रम और रोजगार	राजस्व	7403	0	7403
		पूँजी	250000	0	250000
17.	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व	480610	0	480610
		पूँजी	0	0	0
18.	सहकारिता	राजस्व	11089	0	11089
		पूँजी	0	0	0
19.	ग्राम्य विकास	राजस्व	861982	0	861982
		पूँजी	6680000	0	6680000

अनुदान का संख्यांकन	विभाग का नाम	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (धनराशि हजार रु0 में)			
		श्रेणी	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3			
20.	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	0	0	0
		पूँजी	449887	0	449887
21.	ऊर्जा	राजस्व	560	0	560
		पूँजी	0	0	0
22.	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	601400	0	601400
		पूँजी	2000000	0	2000000
23.	उद्योग	राजस्व	1079614	0	1079614
		पूँजी	24000	0	24000
24.	परिवहन	राजस्व	425600	0	425600
		पूँजी	1020000	0	1020000
25.	खाद्य	राजस्व	1050	0	1050
		पूँजी	0	0	0
26.	पर्यटन	राजस्व	151220	0	151220
		पूँजी	300000	0	300000
27.	वन	राजस्व	1669336	0	1669336
		पूँजी	0	0	0
28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	163414	0	163414
		पूँजी	30000	0	30000
29.	औद्यानिक विकास	राजस्व	346321	0	346321
		पूँजी	4435	0	4435
30.	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	820621	0	820621
		पूँजी	1515131	0	1515131
31.	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	308729	0	308729
		पूँजी	631815	0	631815
	योग-	राजस्व	29866528	38800	29905328
		पूँजी	27302475	0	27302475
	महायोग		57169003	38800	57207803

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

भारत का संविधान के अनुच्छेद 204 सपठित अनुच्छेद 205 के अधीन विधान सभा द्वारा अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य विधान सभा में एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत करना आवश्यक है।

प्रस्तावित विधेयक यह उपबन्धित करता है कि वित्तीय वर्ष 2021–2022 के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदान मांगों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तराखण्ड की संचित निधि में से किया जा सके।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री